निदेशालय, कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर

क्रमांकः एफ 23(80)/लेखा/निकाशि/छा.ऑनलाईन/2019–20/ 1330 दिनांक– 13.7.20

समस्त प्राचार्य/जिला नोडल अधिकारी,
राजकीय महाविद्यालय/वित्तपोषित विश्वविद्यालय,
वित्तपोषित महाविद्यालय/निजी महाविद्यालय/विश्वविद्यालय,
राजस्थान।

विषय– मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृति योजना बाबत्।
संदर्भ– इस विभाग का आदेश संख्या–1236–38 दिनांक–13.03.2020

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित आदेश से मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृति योजनान्तर्गत वर्ष 2019–20 में छात्राओं से प्राप्त ऑनलाईन आवेदन पत्रों की महाविद्यालयों द्वारा जाँच उपरान्त जिला नोडल अधिकारी को फारवर्ड करने की अंतिम तिथि 14.03.2020 रखी गई थी, तथा नोडल स्तर पर जांच एवं प्रमाणन की अंतिम तिथि 17.03.2020 रखी जाकर पोर्टल बन्द कराया गया था। किन्तु कतिपय महाविद्यालय/जिला नोडल अधिकारी द्वारा आयुक्तालय के आदेशो/निर्देशों की अवहेलना कर अंतिम तिथि तक आवेदनों को फॉरवर्ड नहीं किया गया जो खेदजनक स्थिति है।

छात्रहित को मध्य नजर रखते हुए तक निम्नलिखित तिथियों के अनुसार पोर्टल खोला जा रहा है–

विद्यार्थियों को आक्षेप पूर्ति हेतु	दिनांक–13.07.2020 से दिनांक–20.07.2020 को रात्रि 12.00 बजे तक
महाविद्यालयों द्वारा नोडल महाविद्यालय को फॉरवर्ड हेतु	दिनांक–13.07.2020 से दिनांक–25.07.2020 को रात्रि 12.00 बजे तक
नोडल महाविद्यालयों द्वारा जांच किये जाने हेतु	दिनांक–13.07.2020 से दिनांक–28.07.2020 को रात्रि 12.00 बजे तक

यदि किसी भी महाविद्यालय/जिला नोडल अधिकारी के स्तर पर उक्त तिथियों के पश्चात् भी आवेदन पत्र लम्बित रहते हैं तो उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी तथा पात्र छात्रा किसी भी प्रकार का कोई वाद दायर करती है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य/प्रभारी की होगी।

(बी. एल. गोयल)
अतिरिक्त निदेशक
कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ 23(80)/लेखा/निकाशि/छा.ऑनलाईन/2019–20/ 1331 दिनांक– 13.7.20

प्रतिलिपिः–प्रभारी वेबसाइट आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राज. जयपुर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु।

(एच. आर. पवार)
वित्तीय सलाहकार
कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर

d:\scholarship\online scholarship\online scholarshi...